


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लल्लूराम बनाम रूकमणी 223/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00245)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.04.19	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित उन्होंने मूल अपील निर्णित हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र अवमानना को नोटप्रेस किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। मूल अपील निर्णित होने जाने के कारण प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को नोटप्रेस किया गया है। ऐसी स्थिति में अब इस पत्रावली को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (कै०सी०वर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर। </p>	